न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 06/2016/भीलवाड़ा (2016/00186)

हरलाल सिंह पुत्र गोविन्दराम जाति मीणा निवासी कालाभाटा तहसील जहाजपुर थाना हनुमाननगर जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश कमांक न्याय/आर्म्स/आदेश/2016/22131 दिंनाक 19–01–2016

————

उपस्थितः 1– श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–03–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री हरलाल सिंह के नाम जारी शस्त्र 12 बोर सिंगल बैरल गन नं0 69486 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 284/90 जो कि दिनाक 31–12–2009 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष अपीलार्थी दिनांक 31–12–2009 के पश्चात शस्त्र अनुज्ञा पत्र गुम हो जाने के कारण नवीनीकरण नहीं करा पाने का कारण अंकित करते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र पुनः नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया जिस पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा सरसरी तौर पर प्रकरण के तथ्य को समझे बिना कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज कर अपने आदेश दिनांक 19–1–2016 द्वारा अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 19–01–2016 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश की अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सूचना हेतु भेजा गया पत्र दिनांक 19–2–2016 को प्राप्त हुआ तब उक्त आदेश की जानकारी हुई। तत्पश्चात अपीलार्थी दिनांक 24–2–2016 को अजमेर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर विधिक राय लेकर बिना किसी विलम्ब से अपील तैयार करवाकर अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा–5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र को 5 वर्ष तक नवीनीकरण नहीं कराया जाना गंभीर त्रुटि है। अपीलार्थी द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का समुचित अवसर भी दिया किन्तु अपीलार्थी द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अपीलार्थी द्वारा कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र पुनः नवीनीकरण किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा अवैधानिक रूप से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि आयुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र आयुद्ध अधिनियम के विपरीत अपराध कारित किये जाने पर या शस्त्र का दुरूपयोग कर शांति भंग किये जाने का अपराध कारित करने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकता है। अपीलार्थी पर उक्त बाबत कोई अपरोप नहीं है। अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण में हुए विलम्ब के लिए समुचित एवं युक्तियुक्त कारण अंकित कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र गुम हो जाने के कारण नवीनीकरण नहीं करा पाया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कठोर रूख अपनाते हुए शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया। शस्त्र अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण केवल मात्र आयुद्ध अधिनियम में बताये गये कारणों से ही किया जा सकता है । आयुद्ध अधिनियम में नवीनीकरण हेतु विलम्ब होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रकरण पर विचार किये बिना तथा अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विलम्ब पर नरम रूख अपनाते हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना चाहिए तथा विलम्ब को क्षमा करतेहुए पक्षकार के साथ न्याय किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–1–2016 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र 12 बोर सिंगल बैरल गन नं0 69486 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 284/90 पुनः नवीनीकरण किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 284/90 को लगभग 05 वर्ष विलम्ब से दिनाक 31–12–2009 को अनुज्ञापत्र गुम होने के बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अपलार्थी द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण असंतोषप्रद होने से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। इसलिए आर्म्स रूल्स 1962 के नियम 54 के तहत नवीनीकरण करना उचित नहीं माना गया है। उक्त आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 284/90 निरस्त किया जाकर आर्म्स को संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 19–01–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया है तो विलम्ब का कारण प्रस्तुत कर अपीलार्थी के हक खत्म नहीं कर सकते है।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 284/90 को लगभग 05 वर्ष विलम्ब से दिनाक 31–12–2009 को अनुज्ञापत्र गुम होने के बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अपलार्थी द्वारा आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण असंतोषप्रद होने से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। इसलिए आर्म्स रूल्स 1962 के नियम 54 के तहत नवीनीकरण करना उचित नहीं माना गया है। उक्त आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 284/90 निरस्त किया जाकर आर्म्स को संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2016/22131 दिनांक 19–01–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर